वित्तीय स्वीकृति

संख्या: 3/NIP/ /XVII-02/2017-10(23)/2015

प्रेषक,

मनोज चन्द्रन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज/महिला कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 05 सितम्बर, 2017

विषयः-रूड़की जनपद हरिद्वार में संचालित मान्यता प्राप्त दो प्राविधिक शिक्षण संस्थाऐं श्री गांधी महिला शिल्प विद्यालय व महिला कला केन्द्र हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रूड़की जनपद हरिद्वार में संचालित मान्यता प्राप्त दो प्राविधिक शिक्षण संस्थाऐं श्री गांधी महिला शिल्प विद्यालय, अम्बर तालाब, रूड़की एवं महिला कला केन्द्र, रूड़की, हरिद्वार के कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 में प्राविधानित धनराशि **₹ 22.00 लाख (रूपये बाईस लाख मात्र)** निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में उल्लिखित समस्त शर्तो एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो। नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी तथा धनराशि किसी भी दशा में बैंक में पार्किंग हेतु निर्गत नहीं की जायेगी।
3. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए, और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
4. उल्लेखनीय है कि बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय

और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

5. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा क्योंकि उससे मासिक आधार पर व्यय की भ्रामक सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मांग के समय सही निर्णय लेने में कठिनाई होती है।

6. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या-15 शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

7. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व यथावश्यकता शासन की सहमति प्राप्त की जाए।

8. अवमुक्त धनराशि आहरण-वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रत्येक माह आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम-17 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

10. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12. व्यय करने के पूर्व जिस मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

13. वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में बजट प्राविधान से अधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाय। बी0एम0-8 (पुराना बी0एम0-13) पर नियमित रूप से शासन को प्रतिमाह विलम्बतम 20 तारीख तक पूर्व माह तक की व्यय बचत सूचना उपलब्ध कराया जाय।

14. नियंत्रणाधीन विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रत्येक त्रैमास में महालेखाकार से कराया जाना सुनिश्चित करेंगें ।

क्रमशः......................पृष्ठ 3 पर

15. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 में उल्लिखित लेखाशीर्षक 2235–02–107–03–मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को अनुदान के मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता की सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नामे डाला जायेगा।

17. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 के क्रम में एवं बजट आवंटन अनुदान संख्या–15 के अलोटमेन्ट आई0डी0 संख्या–S1709150012 दिनांक 04 सितम्बर, 2017 के द्वारा जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या :3/112 /XVII–02/2017–10(23)/2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अध्यक्ष, संस्था महिला कला केन्द्र रूड़की, जनपद हरिद्वार।
4. अध्यक्ष, संस्था श्री गांधी शिल्प विद्यालय, अम्बर तालाब, रूड़की, जनपद हरिद्वार।
5. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
6. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Social Welfare (S045)

न पत्र संख्या - 3/NIP /XVII-2/17-10(23)2015

अलोटमेंट आई डी - S1709150012

न संख्या - 015

आवंटन पत्र दिनांक -04-Sep-2017

HOD Name - Director Social Welfare (4708)

खा शीर्षक 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 - समाज कल्याण

107 - स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

03 - मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को अनुदान

00 - मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को अनुदान

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	2200000	2200000
	0	**2200000**	**2200000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 2200000